मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2017 (फाल्गुन 4, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 113 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विद्युत बिलों की समीक्षा सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 511) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेश्नल कॉंग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार मध्यप्रदेश के 634 में से आधे विद्यार्थी जो डॉक्टर की डिग्री ले चुके थे और बाकी पढ़ रहे थे, उनकी डिग्री और प्रवेश को रद्द कर विद्यार्थियों को निकालने से उनकी पढ़ाई पर मध्यप्रदेश सरकार की राशि बर्बाद होने के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाए. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया कि उस पर विचार करेंगे.

(2) श्री हर्ष यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – सागर के महापौर द्वारा एक ठेकेदार से कमीशन मांगने के संबंध में मीडिया में वायरल हुए वीडियो की जांच लोकायुक्त से कराई जाए.

(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – ओला-पाला से किसानों को भारी नुकसान होने, रेत खदानों में भ्रष्टाचार होने तथा व्यापम के संबंध में जो नकली डॉक्टर सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी डिग्री सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण सूचनाएं चर्चा में ली जाएं.

(4) श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – मध्यप्रदेश सरकार की घोषणा के विपरीत विद्युत मण्डल द्वारा प्रदेश के ओला-पीड़ित किसानों का निजी घरेलू सामान को डरा-धमका उठाने सम्बन्धी दी गई ध्यानाकर्षण सूचना चर्चा में ली जाए.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा पॉलीथीन, धूम्रपान व गुटखा पर प्रतिबंध लगाने,
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड स्थित ऐतिहासिक किले का संरक्षण करने,
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने सरकार द्वारा जन औषधि केन्द्र खोले जाने,
(4) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने रीवा जिले में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति न मिलने,
(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले में जंगली जानवरों से किसानों की फसल की रोकथाम किये जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य ने नागदा स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल अधिकारी एवं कार्यालय संचालित न होने,
(7) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य ने अनुसूचित जाति की सूची में गौड़ गोवारी जनजाति के संबंध में भ्रम की स्थिति होने,
(8) श्री दिनेश राय, सदस्य ने सिवनी जिले में खेल मैदानों के निर्माण करने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

6. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमश:)

(5) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि – पदोन्नति में आरक्षण का प्रकरण हाई कोर्ट में 58 बार चार साल तक चला केस हारने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई वहां भी अब तक 8 बार तारीखें लग चुकी हैं और वकीलों को लाखों रूपये देने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. जिससे कई अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इस पर सरकार गंभीर नहीं है. अध्यक्ष महोदय ने प्रभारी नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया कि अभी कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव सहित बहुत सारे अवसर आयेंगे.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 61 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16, तथा
(ख) मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड) की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2015-16,पटल पर रखे.

(3) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने –

(क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 52 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-2014, तथा
(ख) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2008, पटल पर रखे.

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2017 को सम्पन्न हुई. जिसमें "मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017)" पर चर्चा हेतु एक घण्टे का समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. दिसम्बर, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

10. नियम 267 - क के अधीन दिसम्बर, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2016 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

11. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक – 6) विधेयक, 2016 (क्रमांक 30 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 30 सन् 2016
(2)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 31 सन् 2016
(3)	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2017
(4)	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2017
(5)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2017
(6)	मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 27 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2017
(7)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2017
(8)	मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 31 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2017
(9)	मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2017
(10)	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 28 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2017

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

12. ध्यानाकर्षण

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल तथा सचिन यादव, सदस्यगण ने इछावर क्षेत्र के आबादी बाहुल्य ग्रामों को राजस्व ग्राम में शामिल न करने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने भोपाल दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु दोष पूर्ण निविदा की कार्यवाही की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अंतरसिंह आर्य, पशुपालन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

13. सभापति तालिका की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(4) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
(5) श्री लाखन सिंह यादव
(6) श्री के.पी. सिंह

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(2) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सीधी)
(3) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(5) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(9) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(10) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)

15. शासकीय वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने पंचायत एवं नगरीय निकाय के अध्यापक संवर्ग की अन्तर्निकाय ऑनलाईन संविलियन की नीति के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

17. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 21 फरवरी, 2017 को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर सुश्री उषा ठाकुर, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास माननीय सदस्यों के 2586 संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित 28 माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री जतन उइके	1
(2)	श्री रमेश पटेल	2
(3)	श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)	3
(4)	श्री आरिफ अकील	4
(5)	श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया	5
(6)	श्री उमंग सिंघार	6
(7)	प्रो. संजीव छोटेलाल उइके	7
(8)	श्रीमती ऊषा चौधरी	8
(9)	श्री शैलेन्द्र पटेल	9
(10)	श्री दिनेश राय	10
(11)	श्री जितू पटवारी	11

(12)	श्री हर्ष यादव	12
(13)	डॉ. गोविन्द सिंह	13
(14)	श्री नीलेश अवस्थी	14
(15)	श्री मधु भगत	15
(16)	डॉ. रामकिशोर दोगने	16
(17)	श्री हरदीप सिंह डंग	17
(18)	श्री सुखेन्द्र सिंह	18
(19)	श्री कमलेश्वर पटेल	19
(20)	श्री मुकेश नायक	20
(21)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	21
(22)	श्री विजय सिंह सोलंकी	22
(23)	श्री सचिन यादव	23
(24)	श्री बाला बच्चन	24
(25)	श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा)	25
(26)	श्री निशंक कुमार जैन	26
(27)	श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	27
(28)	श्रीमती शीला त्यागी	28

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(1) सुश्री उषा ठाकुर

(अपराह्न 1.27 से अपराह्न 3.10 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(6) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान
(8) श्री हरदीप सिंह डंग
(9) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(10) डॉ. मोहन यादव
(11) श्री दिलीप सिंह परिहार

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(12) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(13) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (भाषण पूर्ण)
(चर्चा जारी)

अपराह्न 5.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017 (8 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 23 फरवरी, 2017